भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 155
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

कर्नाटक में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

155. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्नाटक राज्य में निधियों के समुचित उपयोग की नियमित रूप से निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय, कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के आठ उप-घटक हैं जिनके तहत कर्नाटक राज्य सहित, देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): इन स्कीमों के अंतर्गत निधियों के राज्यवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): संस्कृति मंत्रालय जीएफआर-2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बिल वाउचर और अन्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फोटो/वीडियो, पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि की जांच के द्वारा निधियों के उचित उपयोग की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, निधियों के उचित उपयोग और प्रगति की निगरानी के लिए स्थल पर वास्तविक निरीक्षण का भी प्रावधान है

(घ): संस्कृति मंत्रालय ने अपने संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण करने तथा मूर्त और अमूर्त कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में मंत्रालय के कार्यकलापों और कार्यक्रमों को अनेक व्यापक सांस्कृतिक शीर्षों अर्थात् पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालयों और उनकी कलाकृतियों, सार्वजनिक पुस्तकालयों का परिरक्षण और संरक्षण करना, मंच कलाओं, बौद्ध और तिब्बती अध्ययनों, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और उनका प्रचार-प्रसार करना और सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण आदि के अंतर्गत संपन्न किया जाता है।

***

अनुलग्नक-I

'कर्नाटक में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित उप घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और समर्थन करने हेतु यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को प्रति वर्ष 30.00 लाख रुपये तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

(viii) स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

****

अनुलग्नक-II

'कर्नाटक में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कर्नाटक राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की विभिन्न उप-स्कीमों के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु. में)	संगठनों की सं.	राशि (रु. में)	संगठनों की सं.	राशि (रु. में)	संगठनों की सं.	राशि (रु. में)	प्राधिकृत संगठनों की सं.	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु. में)
1.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	1	7.44	0	0	0	0	1	22.5	-	-
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	146	121.78	194	205.70	203	284.60	218	349.42	220	228.10
3.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता	7	23.5	27	204.02	38	212.59	33	272.8	13	72.78
4.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	3	18.96	2	14	6	49.8	3	26.4	1	25

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

****